न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवं उपखण्डमजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2012/00265

मिसल नम्बर–06 / 2012

1. मूर्ति मंदिर श्री चतुर्भुज जी विराजमान दसलाना तहसील लाडपुरा जर्ये संरक्षक धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना मुख्य प्रन्यासी रामबाबू गौतम

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–ःनिर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 27/12/24

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश नन्दवाला।

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम दसलाना में खसरा नम्बर 360 रकबा 1.21 है0 भूमि प्रार्थी मूर्ति की खातेदारी में दर्ज है संवत् 2038 के बन्दोबस्त में राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी मूर्ति पुजारी सूरजमल का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज था। राज्य सरकार द्वारा 31.12.1991 को जारी सर्कुलर की पालना में तहसील द्वारा सूरजमल का नाम हटा दिया गया तब से उक्त भूमि प्रार्थी मंदिर के नाम चली आ रही है।

प्रार्थी मूर्ति तथा सूरजमल के संरक्षण वाली 03 अन्य मूर्ति व मंदिरान की सेवा पूजा हेतु श्री सूरजमल ने धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना का गठन कर देवस्थान विभाग के यहां ट्रस्ट का पंजीकरण करवाया। श्री सूरजमल जी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् श्री सूरजमल की इच्छानुसार प्रार्थी रामबाबू को मुख्य कार्यवाहक प्रन्यासी स्वीकार किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पुनः दिनांक 25.11.2011 को नया सर्कुलर जारी कर पुजारियों के नाम अवैध रूप से विलोपित करने को दुरूस्त करने हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। उक्त आधार पर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम दसलाना की विवादित भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी मूर्ति के साथ धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना प्रन्यासी रामबाबू गौतम का नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया जावें।

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण ग्रामवासियान ग्राम दसलाना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उन्हे हस्तगत प्रकरण में पक्षकार बनाया जावें। प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना तथा ग्राम वासियान दसलाना के मध्य ट्रस्ट से संबंधित विवाद विभिन्न न्यायालयों में चला है तथा वर्तमान में भी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में जैरकार है। ग्राम वासियान द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उनके द्वारा विवादित आराजी से रामबाबू को बेदखल करने के लिए न्यायालय परगना अधिकारी कोटा में भी वाद चला था जिसमें ग्राम वासियान के विरूद्व निर्णय पारित किया गया था यह वाद वर्तमान में राजस्व मण्डल में जैरकार है।

ग्राम वासियान के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना द्वारा उल्लेखित किया गया कि ग्राम वासियान के तथ्य सर्वथा अस्वीकार है। देवस्थान विभाग में दो ट्रस्टों के मध्य विवाद था जिसमें प्रार्थी ट्रस्ट को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई वाद जैरकार नही है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि ग्राम वासियान का विवादित भूमि तथा मंदिर की सेवा पूजा से कोई संबंध नही है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2011 से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। राज्य सरकार के परिपत्र 25.11.2011 में स्पष्टतया निर्धारित किया गया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से प्राप्त खातेदारी यदि विलोपित कर दी गई है तो ऐसे प्रकरणों में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्ती की जाकर पुजारी का नाम खाते में अंकित किया जावें। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जो यह प्रमाणित कर सके कि प्रार्थी को धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि बंदोबस्त जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 में हस्तगत आराजी मंदिर मूर्ति जरिये पुजारी सूरजमल जी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण उक्त विवेचन के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्र 25.11.2011 के प्रावधानों के तहत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत शुद्वि किये जाने योग्य नही हैं। अतः प्रार्थी धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण के संबंध में हमारे द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र 07.12.2009 का अवलोकन किया गया उक्त परिपत्र में राजकीय विज्ञापित मंदिरों के अतिरिक्त समस्त अराजकीय मंदिरों के प्रबंधन एवं वांछनीय उचित व्यवस्था करने हेतु आदेश पारित किये गये है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित हो जाता है कि हस्तगत आराजी के नियंत्रण तथा मंदिर में पूजा पाठ के संबंध में प्रार्थी धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान व्यवस्था ट्रस्ट दसलाना तथा ग्राम वासियान के मध्य विवाद की स्थिति है। इस स्थिति में हम यह उचित पाते है कि सहायक आयुक्त देवस्थान तथा तहसीलदार लाडपुरा उक्त प्रकरण की जांच करें तथा यदि उचित पायें तो अपने प्रस्तावों सहित प्रकरण उपखण्ड स्तरीय समिति में रखा जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग एवं तहसीलदार लाडपुरा कोटा को प्रेषित की जावें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ......27/12/2......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.।